HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16173/2026
CNR: RJHC020988662026 | URN: CRLMB / 29934U / 2026

Amratsingh S/o Vijendrasingh, Aged About 29 Years, Resident Of Khedli Post Tesgaon, Tehsil And Police Station Nadauti, District Karauli

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Balveer Singh Beniwal, Adv. & Mr. Vaibhav Pareek, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

26/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना–नईमण्डी हिण्डौन, जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–12/2026 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 308(7), 61(2), 352, 351(2), 351(3) बी.एन.एस. में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, विवाद पूर्णतः आपसी लेन–देन व सिविल प्रकृति का है, कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जो अंतरिम आदेश अभियुक्त के पक्ष में जारी किया गया था, उसके बाद अनुसंधान में सहयोग

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
17:03:20 IST

किया जा चुका है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वर्तमान मामले में परिवादिया द्वारा यह आरोप लगाया है कि अभियुक्त ने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने हेतु परिवादिया से अनुबंध किया, जिसमें पूर्व में परिवादिया का 20 प्रतिशत हिस्सा रखा गया तथा बाद में साझेदारी 80 प्रतिशत बढ़ाते हुए कुल 45 लाख रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर ली परंतु बाद में कोई लाभ या मूल राशि परिवादिया को नहीं लौटाई।

अनुसंधान के दौरान संकलित साक्ष्य से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच में उपरोक्त कार्य हेतु अनुबंध निष्पादित हुआ था। परिवादिया द्वारा यह आरोप लगाया है कि अभियुक्त ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना फिल्म बनाने का कार्य प्रारंभ किया और बाद में उसके साथ धोखाधड़ी की। विवाद सिविल प्रकृति का है, यह तर्क सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, अभियुक्त से कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रस्तुत तर्को, मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **अमृतसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहॉ पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे

तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/94/DINESH KUMAWAT